

7.9.2021 पत्रावली पेक्षा हुई। वकील सार्थी उपस्थित।

वकील सार्थी की एक पक्षीय बरत को सुना गया।
वकील सार्थी द्वारा बरत में कथन किया गया कि
मूल वाद के निरूपाण एक पञ्चीना पत्र में 'वर्णित'
जाम नेगडिया के खाता संख्या 177, में 'वर्णित' साराजी
नम्बर 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
क्रि. भासजी - 8 रकबा 1.5664 हे. एवं खाता संख्या
178 में 'वर्णित' साराजी नम्बर 1059/475, 475 क्रि. भास-2
कुल रकबा 1.4259 हे. भूमि की मोक्या एवं राजस्व रेकार्ड
की प्रवृत्ति बनाये रखने की अनुमति चाही गई है।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
सार्थी का पञ्चीना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश
दिया जाता है कि वादग्रह साराजी नम्बर 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 1059/475, 475
जाम नेगडिया की साराजी के किसी भी भू-भाग को
क्रि. भास और तरह से इस्तानाहिर नहीं करें। स्ट्रेजर परसन
को कब्जा नहीं देवे। मोक्या एवं राजस्व रेकार्ड की
प्रवृत्ति बनाये रखे। पत्रावली के अनुसार इस
भास की अस्थायी विवेधाता जारी की जाती
है। पत्रावली के तल शुभा टोकल नम्बर संकम
है।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगला

